न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 22/2004 निर्णय दिनांक :– 15.10.19

उनवान

1. रूकमा देवी पत्नि रामप्रसाद
2. कानी देवी पत्नि रामधन
3. भौरी देवी पत्नि सीताराम
4. सत्यनारायण पुत्र झूथालाल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सेवापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——वादीगण——

बनाम

1. सीताराम पुत्र गुल बिहारी मृतक दौराने दावा

1/1. जानकी पत्नि स्व, सीताराम

1/2. राधाकिशन उर्फ पप्पू पुत्र स्व. सीताराम

1/3. गिर्राज पुत्र स्व. सीताराम

1/4. भगवानसहाय पुत्र स्व, सीताराम

1/5. लोकेश पुत्र स्व, सीताराम

1/6 कमली पुत्री स्व. सीताराम

1/7 हंसा देवी पुत्री स्व, सीताराम

समस्त जाति ब्रहम्ण निवासी सेवापुरा तहसील वाकसू जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

2. राधेश्याम पुत्र गुल बिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सेवापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

3. हनुमान पुत्र गुल बिहारी मृतक दौराने दावा

3/1 उर्मिला देवी पत्नि हनुमान सहाय

3/2 कृष्णा पुत्री हनुमान सहाय

3/3 गोविन्द कुमार पुत्र हनुमान सहाय

समस्त जाति ब्राहमण निवासी राम बिहार बुद्धसिंहपुरा तहसील जिला जयपुर राज0।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

5. पंजीयक चाकसू जिला जयपुर

——प्रतिवादीगण——

दावा बाबत–घोषणा खातेदारी तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 253, 268, 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 318, 390, 399, 400, 440, 441, 451, 452, 453, किता 18 रकबा 6.77 है0 भूमि जिसके साबिक खसरा नम्बरान 63, 99, 103, 129 कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सेवापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। पुराने खसरा नम्बर 63 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 253, 268, 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 318 रकबा 3.72 हे0 भूमि का पूर्व खातेदार गलखू बेवा गुल बिहारी निवासी सेवापुरा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक ने क्रय दिनांक 09.01.1991 में जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था जिसके अनुसार वादीगण संख्या 1 से 3 का हिस्सा 1/2 वादी नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा क्रय किया गया था व इसी अनुसार दिनांक 09.01.1991 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया था व इसी अनुसार ही आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विक्रेती गलखू देवी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सगी मा है जिसका देहान्त एक वर्ष पूर्व हो गया है जिसके वारिस भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ही है जिसका विरासत का नामान्तकरण नही खुला है।

विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 के आधार पर नामान्तकरण खोलने बाबत वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चाकसू के समक्ष पेश किया गया था, तहसीलदार चाकसू द्वारा हल्का पटवारी को नामान्तकरण बाबत लिखा गया हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उक्त खाते में नामान्तकरण संख्या 8 दिनांक 06.10.1998 के अनुसार जरिये सहायक कलेक्टर चाकसू के डिक्री दिनांक 20.01.1993 मुकदमा नम्बर 11/1991 के अनुसार हनुमान पुत्र गुल बिहारी के नाम 1/4 हिस्सा हो गया है। उक्त रिपोर्ट के बाद तहसीलदारी चाकसू द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 के आधार पर आज तक नामान्तकरण नही खोला गया है। वादीगण द्वारा तहसीलदार चाकसू को बार–बार निवेदन करते रहे दिनांक 28.03.2004 को श्रीमान तहसीलदार चाकसू द्वारा कहा गया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कि आप लोग न्यायालय में जाकर वाद दायर करे इस कारण वादीगण को घोषणा खातेदारी व तकासमा का दावा श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी काश्तकार हो गये है। व उसी दिन से भूमि पर काबिज काश्त बिना किसी बाधा के चले आ रहे है। वादीगण के लिये अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना कानूनन आवश्यक हो गया है व विवादित आराजी का मिट्स व बाउन्डस के आधार पर तकासमा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है व वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के कानूनन अधिकारी है। दावा तकासमे का है, जिसमें सरकार भूमिधारी है, इसलिये सरकार को प्रतिवादी संख्या 4 बनाया गया ह, प्रतिवादी संख्या 5 भूमि का पंजीयन करने वाली संस्था है, इस कारण प्रतिवादी बनाया गया है, इनके विरूद्ध काई दादरसी नही चाही गई है। वादीगण को दावा पेश करने का वाद हेतु जब पैदा हुआ प्रतिवादी नम्बर 4 सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू द्वारा दिनांक 28.03.04 को नामान्तकरण खोलने से मना कर दिया पैदा होने के कारण दावा मान्य अदालत में पेश है। दावा घोषणा तकासमा का है, जिसके लिये कानून में समयावधि न होने से दावा अन्दर मयाद पेश है। वादग्रस्त भूमि श्रीमान के न्याय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उक्त वाद को सुनने का अधिकार श्रीमान को है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा उचित कोर्ट फीस पर रा0टे0एक्ट के तीसरे सिड्यूल की एन्ट्री नम्बर 3, 5 तथा 23 सी के तहत मान्य न्यायालय में पेश है। अतः दावा पेशकर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण फरमाया जावे। वादीगण को ग्राम सेवापुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 253, 268, 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 318 किता 10 रकबा 3.72 है0 भूमि के वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/2 भाग वादी संख्या 4 की 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की 1/4 भाग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जावे। वादीगण के हिस्से 3/4 भाग की जमीन का वाकई बंटवारा करवाया जाकर, उसकी अलग से खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में करवाकर अलग से लगान तय फरमाया जावे। यह कि वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की महामहत दखलन्दाजी नही करें न अन्य से करावे। दावा वादी वकील द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी तो प्रतिवादीगण द्वारा हाजीर अदालत होकर जरिये वकील दावे का जवाब दावा निम्नानुसार पेश किया गया :–

वाद पत्र का मद नम्बर 1 स्वीकार है। इस मद में वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बर 63, 99, 103, 129 कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम सेवापुरा, तहसील चाकसू,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता गुल बिहारी के नाम था। वाद पत्र का मद नम्बर 2 स्वीकार नही है। पुराने खसरा नम्बर 63 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा के वर्तमान खसरा नम्बर क्या हुये जानकारी नही है। यह भूमि पहले गुल बिहारी की खातेदारी में थी। मु0 गलखू स्व गुल बिहारी की पत्नी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 स्व गुल बिहारी के पुत्रान है। स्व0 गुल बिहारी का स्वर्गवास हो गया, जिसके वारिसान उसकी पत्नी गलखू तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 है। जिनका वादग्रस्त आराजी में हित निहित है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 स्व0 गुल बिहारी के पुत्रान है, स्व0 गुल बिहारी का स्वर्गवास हो गया, जिसके वारिसान उसकी पत्नी गलखू तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 है। जिनका वादग्रस्त आराजी में हित निहित है। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 ने गलखू बेवा गुल बिहारी से दिनांक 09.01.1991 को भूमि क्रय नही की तथा न मु0 गलखू ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम कोइ विक्रय पत्र पंजीबध्द नही कराया। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है। मु0 गलखू देवी प्रतिवादीगण 1, 2, 3 की सगी मां है, जिसका देहान्त हो चुका है, तथा मृतक गलखू के प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 कानूनी वारिसान व उत्तराधिकारी है। तसरीह ब्यान मजीद में की जावेगी। वाद पत्र का मद नम्बर 3 स्वीकार नही है। वादीगण ने कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार चाकसू के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार चाकसू द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तकरण बाबत

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

लिखा, जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल गलखू देवी के नाम हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान ने राजस्व वाद संख्या 11/1991 बाबत घोषणा खातेदारी न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर चाकसू के समक्ष प्रस्तुत किया, तथा न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.1993 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 8 भरा गया। दिनांक 09.01.1991 को स्व0 गलखू ने वादीगण के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत नही कराया तथा न वादीगण ने तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 28.03.2004 को तहसीलदार चाकसू ने वादीगण को न्यायालय में वाद दायर करने बाबत नही कहा वादीगण ने प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से वाद हाजा प्रस्तुत किया है। जिसकी वादीगण को आवश्यकता नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 4 स्वीकार नही है। दिनांक 09.01.1991 का कोई विक्रय पत्र वादीगण के हक में पंजीबद्ध नही हुआ है तथा न ही वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है। इसलिये वाद घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का वादीगण को कानूनन कोई अधिकार नही

आराजी के खातेदार नही है, इसलिये दावा तकासमा प्रस्तुत करने का वादीगण को कानूनन कोई अधिकार नही है। वादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को वाद हाजा में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 लोक सेवक की संज्ञा में आते है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को नोटिस जेरे दफा 80 जा0दी0 नही दिया है, इसलिये वादीगण का वाद काबिले पेश रफत नही है तथा काबिले खारिज है। वाद पत्र का मद नम्बर 6 स्वीकार नही है। वादीगण को वाद हाजा प्रस्तुत करने के लिये वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है। दिनांक 28.03.2004 को तहसीलदार चाकसू द्वारा नामान्तकरण खोलने से मना करने वाली मिथ्या व मनगढन्त है। वादीगण का वाद मयाद में नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 7 कानूनी होने के कारण जवाब अपेक्षित नही है। वाद पत्र का मद नम्बर 8 स्वीकार नही है। वादीगण ने उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत नही की है। इसलिये वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

काउन्टर क्लेम

वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 63, 99, 103, 129 कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा वर्तमान 253, 268, 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 318, 390, 399, 400, 440, 441, 451, 452, 453, किता 18 रकबा 6.78 है0 भूमि ग्राम सेवापुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता स्व0 गलखू के पति गुल बिहारी के नाम से थी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता गुल बिहारी का स्वर्गवास होने के पश्चात उसकी खातेदारी की वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

आराजी का नामान्तकरण विधि प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की मां गलखू बेवा गुल बिहारी ने अपने नाम करवा ली, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 3 ने राजस्व वाद संख्या 11/1991 बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर चाकसू के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय सहायक कलक्टर चाकसू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10. 1993 को प्रतिवादी संख्या 3 का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या 3 को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी काश्तकार घोषित किया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम भरा जकार तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त आराजी के 1/4 भाग का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के पिता गुल बिहारी की खातेदारी की भूमि है। गुल बिहारी का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 खातेदारी अधिकार निहित हो गये, जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। वादीगण मिन प्रतिवादीगण का तथाकथित फर्जी व कूट रचित विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 के आधार पर मिन प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने की चेष्टा मे है, इसलिये मिन प्रतिवादी अपने हिस्से की वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने व वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\RUKMA VS SITARAM.docx

<u>विशेष विवरण</u>

वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही हैं इसलिये बिना कब्जा वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है, तथा वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, जिसको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने अधिकार नही है। विवादित आराजी मिन प्रतिवादी के पिता गुल बिहारी की छोडी हुई भूमि है, जिसमें मिन प्रतिवादी का हित निहित है। स्व0 गलखू द्वारा करायी वादीगण के हक में कराई गई तथाकथित विक्रय पत्र मिन प्रतिवादीगण के अधिकारों के मुकाबले प्रभावशून्य है। विवादित आराजी बाबत प्रतिवादीगण व स्व0 गलखू के मध्य राजस्व वाद संख्या 11/1991 वादग्रस्त आराजी बाबत निर्णित हो चुका है। इसलिये रेस जुडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नही हैं वादत्तौर पर नियमानुसार न्याय शुल्क पेश है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना है। कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा मिन प्रतिवादी को विशेष हर्जा खर्चा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करे। मिन प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नमबर 9 काउन्टर क्लेम के 1/4 हिस्से का मिन प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व अभिलेख में कराया जावे। वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर भौतिक कब्जा सम्भलाया जावे। तथा अलग पर्चा बनाकर लगान तय फरमाया जावे। वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह मिन प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मुजामहत न स्वयं करे न अन्य किसी से करावे।

प्रतिवादीगण ने दावे के जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम एवं विशेष कथन पेश किया गया जिसका जवाब वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम एवं विशेष वाहक कथन का जवाब बुल जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि

<u>जवाब काउन्टर क्लेम</u>

काउन्टर क्लेम का मद नं. 1 (जवाब दावे का मद नं. 9) स्वीकार है। काउन्टर क्लेम का मद न - 2 (जवाब दावे का मद नं. 10) पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है स्व श्री गुलबिहारी जी के देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण की कार्यवाही की गई जिससे प्रतिवादी नं. 1 से 3 ने अपनी सहमति दी तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वार्ड पंच व अन्य उपस्थित पंचो ने पूर्ण बहुमत से प्रतिवादी नं. 1 से 3 की माता गलखू के नाम नामान्तकरण खोला गया। प्रतिवादी नं. 3

खण्ड अधिकारी
कसू (जयपुर)

का यह कहना कि उसे जानकारी होने पर। उसने दावा नं. 11/1991 न्यायालय में पेश किया हो पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है अगर बिना सहमति व जानकारी के नामान्तकरण खोला जाता तो दावा तीनो भाई ही दायर करते । प्रतिवादी नं. 3 ने अह दावा मान्य न्यायालय में दिनांक 23.01.1991 को पेश किया जबकि श्रीमति गलखू देवी ने वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में विक्रय दिनांक 09.01.1991 को ही करवा दिया था जो विकय पत्र भी प्रतिवादी नं. 1 से 3 की सहमति से तस्दीक किया गया था प्रतिवादी नं. 1 से 3 ने हिस्सा 1/4 भूमि की तो रजिस्ट्री अपने नाम करवाली शेष 3/4 हिस्सा जो वादीगण के हक में विकय की गई थी का प्रतिफल स्व. गलखू देवी व प्रतिवादी नं. 1 से 3 ने व उनके परिवार ने आपस में बॉट लिया। इनके प्रतिफल बंटवारे में भाईयों मेंरू आपस में विवाद पैदा हो गया जिसके चलते प्रतिवादी नं. 3 ने मिथ्या तथ्यों पर सारे असली तथ्य छुपाकर दावा दायर किया जिसमें प्रतिवादी नं. 1 से 2 हाजिर नही आये किन्तु प्रतिवादी नं. 3 ने जानबुझ कर वादीगण को पक्षकार नही बनाया ऐसे में उक्त पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.10.1993 जो एक तरफा में पारित है वह वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही थुन्य व अप्रभावी है क्योकि डिकी जिस दिनांक को प्रतिवादी नं. 1 से 2 व गलखू के खिलाफ पारित की गई थी उस दिन गलखू या प्रतिवादी नं. 1 से 2 स्वामी व काबिज नही थे। इस कारण उक्त डिक्री अपने आप ही शुन्य है तथा वादीगण के हक में हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुकाबले

उपखण्ड अधिकारी
बाकसू (जयपुर)

प्रभावहीन है उक्त डिकी व निर्णय के आधार पर प्रतिवादी नं. 3 ने 5 साल तक अर्थात सन 1998 तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा सारे तथ्य छुपाये रखे जो प्रतिवादीगण की बदनियति को दर्शाता है। प्रतिवादी नं. 3 अकेला हिस्सा 1/4 का मालिक नही है बल्कि प्रतिवादी नं. से 3 मिलकर हिस्सा 1/4 के स्वामी है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 3 (जवाब दावे का मद नं. 11) पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है गुलबिहारी की मृत्यु के उपरान्त सबकी सहमति से नामान्तकरण गलखू के नाम लगा था जिन्होंने प्रतिफल प्राप्त कर विकय किया है ऐसे में फर्जी तथ्यो पर प्रतिवादी नं. 3 अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 4 (जवाब दाबे का मद नं0 12) पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है विकय पत्र दिनांक रू 09.11.1991 पूर्णतया कानूनी व प्रभावी है जो स्वयं प्रतिवादीगण की माता जी ने किया है तथा हिस्सा 1/4 के क्रेता स्वयं प्रतिवादीगण है ऐसे में प्रतिवादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 5 (जवाब दावे का मद नं. 13) पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है वादग्रस्त आराजी पर खरीद के समय से ही खरीदे गये हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जो तथ्य स्वयं प्रतिवादीगण को भी भली भांती ज्ञात है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 6 (जवाब दावे .का मद नं. 14) पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादी का जो नाम रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ वह गलत तरीके से हुआ है एसे में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जा सकता है।

खण्ड अधिकारी
कसू (जयपुर)

काउन्टर क्लेम का मद नं. 7 (जवाब दावे का मद नं. 15) जिस तरह लिखा गया है गलत है स्वीकार नही है गलखू देवी के नाम नामान्तकरण प्रतिवादीगण व समस्त वारीसो की सहमति से आया था तथा गलखू देवी के द्वारा करवाये गये विकय पत्र की जानकारी प्रतिवादीगण को है क्योकि वे स्वयं भी क्रेता है ऐसे में विकय पत्र पूर्णतया प्रभावी व कानूनी है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 8 (जवाब दावे का मद नं. 16) गलत है स्वीकार नही है प्रथम तो उसे दावे में वादीगण पक्षकार नही थे द्वितीय दायरी दावे के दिन गलखू देवी मालिक नही थी क्योकि वह विकय कर चुकी थी वह दावा मिथ्या तथ्यो पर पेश किया गया था। तथा डिक्री मिली भगत से प्राप्त की गई थी किन्तु चुँकी वादीगण उस दावे में पक्षकार नही थे इस कारण वह निर्णय वादीगण पर बाध्यकारी नही है। काउन्टर क्लेम का मद नं. 9 (जवाब दावे का मद नं. 17) कानूनी है जवाब आवश्यक नही है।

विशेष विवरण

इस दावे के चलते चलते ही तथ्य छुपाकर प्रतिवादीगण की बहनो ने एक दावा नारायणी बनाम सीताराम पेश कर दिया जिसमें प्रतिवादीगण ने इस दावे के तथ्यो को छिपाकर सहमति देकर उक्त दावा डिक्री करवा दिया जिसका ज्ञान होने पर वादीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी महोदय के यहां कर दी है तो अभी विचाराधीन है इस कारण वादीगण उक्त बहनो को फिलहाल इस दावे में पक्षकार नही बना रहा है वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के उपरान्त इस दावे में उचित व आवश्यक संशोधन यदि आवश्यक होगा तो करवा लेगे। जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का दावा डिकी फरमाया जावे।

दावा जवाब दावा काउन्टर क्लेम व जवाब काउन्टर क्लेम पेश होने पर दावा जवाब दावा काउन्टर क्लेम स्वंय जवाब काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

तनकीयात

1. आया वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के हिस्से 3/4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया ।

---वादीगण

2. आया वादीगण विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है।

---वादीगण

3. आया वादीगण भूमि वादग्रस्त का विभाजन कराने के अधिकारी है।

---वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

——वादीगण

5. आया पूर्व के राजस्व वाद 11/1991 के कारण उक्त दावा रेस जुडिकेटा के सिद्धान्त से चलने योग्य नही है ?

——प्रतिवादी नम्बर 3

6. आया प्रतिवादीगण गुल बिहारी के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 3 अपने 1/4 हिस्से का रिकॉडेड काबिज खातेदार काश्तकार है ?

——प्रतिवादी नम्बर 3

7. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नही है। कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नही है ?

——प्रतिवादी नम्बर 3

8. आया वादीगण का दावा धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नही है ?

——प्रतिवादी नम्बर 3

9. अनुतोष

तनकीयात कायम होने पर वादीगण व प्रतिवादी की साक्ष्य ली गयी तो वादीगण ने अपने पक्ष में साक्ष्य शपथ पत्र रूकमा देवी वादनी स्वयं श्रीनारायण, रामेश्वर, कानी, भूरी, कानाराम, सत्यनारायण, किशनलाल के शपथ पत्र पेश किये गये किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

शहादत वादी जिरह हेतु लगातार दिनांक 07.09.2015 से हाजीर होते रहने के उपरान्त भी प्रतिवादी वकील द्वारा वादी के गवाहों से जिरह नही की गयी व दिनांक 01.10.2019 को गवाह हाजीर होने पर भी प्रतिवादी वकील हाजीर नही हुये न ही जिरह कर रहे व हाजीर प्रतिवादी नही होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दौराने बहस दावे का जवाब काउन्टर क्लेम का समर्थन करते हुये कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि का पूर्व खातेदार गलखू बेवा गुल बिहारीनिवासी सेवापुरा से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने कम दिनांक 09.0.91 में जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था जिसके अनुसार वादीगण संख्या 1 से 3 का हिस्सा 1/2 वादी नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा कय किया गया था इसी अनुसार दिनांक 09.01.1991 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया व इसी अनुसार आज मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है विकती गलखू देवी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सगी मां है जिसके वारिस भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ही है। दिनांक 09.01.1991 के खौलने बाबत वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चाकसू द्वारा पटवारी हल्का को लिखा गया तो उक्त खाते में नामान्तकरण संख्या 06.10.1998 के अनुसार सहायक कलक्टर चाकसू की डिक्री दिनांक 20.10.1993 हनुमान पुत्र गुल बिहारीके नाम 1/4 हिस्सा हो गया, इस कारण तहसीलदार द्वारा विक्रय पत्र 09.01.1991 के आधार पर नामान्तकरण नही खोला

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

गया। वादीगण विक्रय पत्र 09.01.1991 के आधार पर विवादित आराजी के खातेदारी काश्तकार हो गये। गुल बिहारी जी के देहान्त के बाद पंचायत के समक्ष नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपनी सहमति दी प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर पंच व पंचों ने पूर्ण बहुमत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता गलखू के नाम नामान्तकरण खोला बिना सहमति व जानकारी के नामान्तकरण खोला जाता तो दावा तीनो भाईयों के द्वारा दायर किय जाता है। प्रतिवादी नम्बर 3 ने दावा 23.01.1991 को पेश किया जबकि गलखू देवी ने वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 को ही करवा दिया जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सहमति से तस्दीक किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने 1/4 हिस्सा भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाली शेष 3/4 हिस्सा वादीगण के हक में विक्रय की गयी थी। भाईयों में आपस में विवाद होने से प्रतिवादी संख्या 3 ने मिथ्या तथ्यों पर सारे तथ्य छिपाकर दावा दायर किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हाजीर नही आये व प्रतिवादी संख्या 3 ने जान बूझकर वादीगण को पक्षकार नही बनाया व दावा डिक्री 20.10.1993 को एक तरफा करवा लिया जो वादीगण के मुकाबले शूरू से शून्य व अप्रभावी है। जिस दिन डिक्री पारित की गयी उस दिन गलखू या प्रतिवादी नम्बर 1 से 2 वादग्रस्त भूमि के स्वामी काबिज नही थे। इस कारण डिक्री अपने आप ही शून्य है। विक्रय पत्र 09.11.1991 पूर्णतया कानूनी व प्रभावी है जो स्वयं

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रवितादीगण की माताजी ने किया है तथा 1/4 हिस्सा क्रेता स्वयं प्रतिवादीगण है ऐसे में प्रतिवादी किसी भी प्रकार से अनुतोष पाने के हकदार नही हैं। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने दावे के समर्थन में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2002 की विकय पत्र 09.01.1991 ग्राम सेवापुरा की जमाबंदी संवत 2055–58 की 2055–58 खाता संख्या 93, भू प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वादी वकील की बहर पर मनन किया व दावा जवाब दावा काउन्टर क्लेम जवाब काउन्टर क्लेम तथा प्रस्तुत दस्तावेजात की परीक्षण किया गया तो स्व0 गुल बिहारी के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण की कार्यवाही की गई जिसमें प्रतिवादीनम्बर 1 से 3 ने अपनी सहमती दी प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वार्ड पंच व अन्य उपस्थित पंचों ने पूर्ण बहुमत से प्रतिवादी नं0 1 से 3 की माता गलखू के नाम नामान्तकरण खोला गया। श्रीमती गलखू देवी ने वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में विकय दिनांक 09.01. 1991 को कर दिया उक्त विकय पत्र भी प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की सहमति से तस्दीक किया गया था। प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 ने हिस्सा 1/4 भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई शेष 3/4 हिस्सा वादीगण के हक में विकय की गयी। प्रतिवादी नम्बर 3 का कहना है कि जानकारी होने पर दावा 11/1191 न्यायालय में पेश किया जो पूर्णतया गलत है। अगर बिना सहमति व जानकारी के खोला जाता तो दावा तीनो भाई दायर करते प्रतिवादी संख्या 3 ने दावा

उपखण्ड अधिकारी
झाकसू (जयपुर)

न्यायालय में 23.01.1991 को पेश किया जबकि गलखू देवी ने वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में विक्रय दिनांक 09.01.1991 को ही करवा दिया। गलखू देवी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के व उनके परिवार ने आपस में विवाद पैदा होने पर प्रतिवादी संख्या 3 ने मिथ्या तथ्यों पर तथ्य छिपाकर दावा दायर किया जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 से 2 हाजीर नही हुये व वादीगण को पक्षकार नही बनाया ऐसे में उक्त पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.1993 एक तरफा पारित है जो वादीगण के मुकाबले प्रारंभ से ही शून्य व अप्रभावी है क्योंकि डिक्री जिस दिनांक को प्रतिवादी नम्बर 1 से 2 व गलखू के खिलाफ पारित की गयी उस दिन गलखू या प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्वामी काबिज नही थे। इस कारण उक्त डिक्री अपने आप ही शून्य है। तथा वादीगण के हक में हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मुकाबले प्रभावहीन है, उकत डिक्री व निर्णय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 5 साल तक अर्थात सन् 1998 तक कोई कार्यवाही नही की गयी, सारे तथ्य छुपाये रखे। प्रतिवादी नम्बर 3 अकेला 1/4 का मालिक नही है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मिलकर 1/4 हिस्से के स्वामी है। गुल बिहारी की मृत्यु के उपरांत सबकी सहमति से नामान्तकरण गलखू के नाम लगा जिन्होने प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय किया उक्त विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 पूर्णतया कानूनी व प्रभावी है जो स्वयं प्रतिवादीगण की माता जी ने किया है तथा 1/4 हिस्सा में क्रेता स्वयं प्रतिवादीगण है ऐसे में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से अनुतोष पाने के अधिकारी नही हैं। प्रतिवादी का जो

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रिकार्ड में दर्ज हुआ है वह गलत तरीके से दर्ज हुआ है क्योंकि गलखू देवी के द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र की जानकारी प्रतिवादीगण को है क्योंकि वे स्वयं भी क्रेता है ऐसे में विक्रय पत्र पूर्णतया प्रभावी व कानूनी है। क्योंकि दावे में वादीगण पक्षकार न ही थे व दावा दायरी के दिन गलखू देवी मालिक नही थी क्योंकि वह भूमि विक्रय कर चुकी थी। दावा मिथ्या आधारो पर पेश किया गया डिक्री मिलीभगत से प्राप्त की गयी थी चूंकि वादीगण उस दावे में पक्षकार नही होने से निर्णय वादीगण पर बाध्यकारी नही है, इसी प्रकार उक्त दावे के चलते ही तथ्य छुपाकर प्रतिवादीगण की बहनों ने एक दावा नारायणी बनाम सीताराम कर दिया जो प्रतिवादीगण सहमति देकर तथ्य छिपाकर डिक्री करवा दिया जिसकी भी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण की माता के द्वारा बेचान कर देने पर तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों पर दावे पेश करते है जो वादीगण नाजायज परेशान व हैरान करने की नियत से पेश करते है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 09.01.1991 का आदिनांक तक कानूनी रूप से प्रभावी है व किसी भी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नही किया गया। इस प्रकार विक्रय पत्र के बाद की समस्त कार्यवाही अप्रभावी होने के कारण व उपरोक्त विवेचन अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 253, 268, 269, 270, 282, 283, 284, 285, 286, 318 किता 10 रकबा 3.72 है0 भूमि वाके ग्राम सेवापुरा तहसील चाकसू को वर्तमान खातेदारान के स्थान पर वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/2 भाग वादी संख्या 4 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार मजाहमत पैदा नही करे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 13:28:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: